न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी,

पीठासीन अधिकारी अयूब खान आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 90 /2012

वादीगण

1. खेंगारराम पुत्र मंगलाराम
2. पेमाराम पुत्र श्री मंगलाराम
3. इराराम पुत्र मंगलाराम
4. भंवराराम पुत्र बस्ताराम
5. मांगीलाल पुत्र बस्ताराम
6. देवी पुत्री बस्ताराम

सभी जाति जाट, निवासी ग्राम मेहराम नगर, जानादेसर तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) लूणी, जोधपुर।

उपस्थिति :

वादीगण की ओर से रूघाराम चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से सरकारी पैरोकार

वाद बाबत् खातेदारी धोषणा रेकर्ड दुरूस्ती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक 22.05.2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने वाद बाबत् खातेदारी घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेहराम नगर के खसरा संख्या 50 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 52 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 59 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 60 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 686/8 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा कुल खसरा 05 कुल रकबा 74 बीघा 02 बिस्वा पूर्वजों की पैतृक कृषि भूमि है। खसरा संख्या 59 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा का रकबा राजस्व रेकर्ड में कम दर्ज हो जाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ।

वादीगण ने वादपत्र में आगे निवेदन किया कि खसरा संख्या 59 मौके पर 33 बीघा 17 बिस्वा वक्त पैमाईश था सेटलमेंट अधिकारियों, कर्मचारियों

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

ने खसरा संख्या 59 का पैमाईश 33 बीघा 17 बिस्वा का ही बनाया। लेकिन मिसल बन्दोबस्त एवं राजस्व रेकर्ड में तैयार करते समय खसरा संख्या 59 का रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 23 बीघा 17 बिस्वा दर्ज हो गया।

वादीगण ने वादपत्र के अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा संख्या 59 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 59 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा दर्ज करने का आदेश पारित किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत कर वाद को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा में वादीगण के विरूद्व धारा 91 राजस्व भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने या वादीगण पर जुर्माना आरोपति करने या वादीगण को बेदखल करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अभी वचन नहीं किया है। भू अभिलेख निरीक्षक झंवर एवं हल्का पटवारी जानादेसर द्वारा मौके पर पैमाईश करवाकर रिपोर्ट तैयार करवाई गई।

वादीगण ने वादपत्र को साबित करने के लिए खेंगारराम का शपथपत्र प्रस्तुत किया। दस्तावेजी साक्ष्य में मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी राजस्व नक्शा प्रदर्शित करवाये गये। वकील वादी एवं सरकार पैरोकार की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी ने वादपत्र में तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी मौके पर रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा वक्त सेटलमेंट से विद्यमान है। सेटलमेंट अधिकारियों कर्मचारियों ने सेटलमेंट पैमाईश के समय नक्शा 33 बीघा 17 बिस्वा का ही बनाया। लेकिन मिसल बन्दोबस्त एवं राजस्व रेकर्ड तैयार करते समय सद्भाविक भूल से खसरा संख्या 59 का रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 23 बीघा 17 बिस्वा दर्ज कर दिया गया। तहसीलदारके आदेश से मौके का भौतिक सत्यापन करवाया गया। वादी गवाहन पी. डब्ल्यू 1 ने अपने सशपथ बयानों कथन किया कि खसरा संख्या 59 का रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा है वादीगण को उक्त खसरा रकबा से बेदखल करने के लिए धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की, और न ही वादीगण पर जुर्माना आरोपित किया इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को खसरा संख्या 59 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार काश्तकार माना है। वादीगण ने अपने साक्ष्य सबूत मौखिक साक्ष्य से खसरा संख्या 59 का रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा साबित किया है। इस कारण वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावें। वादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त में अपील/एल.आर/संख्या 8177/2012 जिला जोधपुर अनवान सरकार बनाम जेपू खां निर्णय दिनांक 08.07.2015 प्रस्तुत किया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

सरकार पैरोकार ने वादीगण अधिवक्ता बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वादीगण का वाद स्वीकार करने से राज रकबा बढ़ेगा, तहसील व जिला का रकबा बढेगा इस कारण वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावें।

पक्षकारान् के बहस पर मनन किया एवं पत्रावली को ध्यापूर्वक अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 08.07.2015 का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट पैमाईश एवं सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा बनाया गया नक्शा का रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा है। इस कारण वादीगण के अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हूं कि सेटलमंट कर्मचारियां अधिकारियों ने सद्भाविक भूल से राजस्व रेकर्ड तैयार करते समय खसरा संख्या 59 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 23 बीघा 17 बिस्वा दर्ज कर दिया। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 59 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा से बदेखल करने या वादीगण पर जुर्माना आरोपित करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया और न ही प्रतिवादीगण की ओर से इस सम्बन्ध में साक्ष्य सबूत ही पेश किया है इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण खसरा संख्या 59 का रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा को स्वीकार करते है। साथ ही उप तहसीलदार झँवर तथा हल्का पटवारी जानादेसर की रिपोर्ट दिनांक 17.05.2018 भी यह दर्शाती हैं कि सेटलमेंट कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता है। वादीगण वाद साबित करने में सफल रहे है। इस कारण से वादीगण का स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण को खसरा संख्या 59 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि मौजा मेहराम नगर के खसरा संख्या 59 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

22/5/2018

सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक खण्ड अधिकारी लूणी
लूणी

Scanned by CamScanner